

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:-

सुनील कुमार चौहान आर.ए.एस.

फूलवती पत्नी शिवकुमार उम्र 52 साल जाति खाती निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 मोबाईल नंबर 9460155335

.....वादीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राजस्थान।

.....प्रतिवादी

आवेदन पत्र बाबत पत्थरगढी

:-निर्णय:-

दिनांक :- 06.12.2021

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा कि:-

1. यह कि ग्राम बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 1193/2 रकबा 0.60 है0 खसरा नंबर 1193/1/1 रकबा 0.4834 है0 खसरा नंबर 1193/1/1 रकबा 0.0961 है0 खसरा नंबर 1192/1 रकबा 0.1334 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.31 है0 भूमि की प्रार्थीया खातेदार कास्तकार दर्ज रिकॉर्ड है।
2. यह कि प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि अन्य खातेदारों से कय की थी तथा उसके पश्चात खातेदार हनुमान सिंह पुत्र बच्चन सिंह से हाल खसरा नंबर 1193/1/2 रकबा 0.0966 है0 प्रार्थीया द्वारा दी गई थी तथा खाता विभाजन करवा कर खातेदार दर्ज हो गया था।
3. यह कि प्रार्थीया ने अपनी भूमि हाल खसरा नंबर 1193/1/1, 1193/1/2, 1193/2, 1192/1 का दिनांक 08.06.2018 को जिसका सीमाज्ञान तहसीलदार महोदय बुहाना से करवाया है जिसकी फर्द मौका रिपोर्ट प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।
4. यह कि सीमाज्ञान करवाने से प्रार्थीया को अपनी भूमि का तो ज्ञान हो गया लेकिन प्रार्थीया की भूमि के पत्थरगढी नहीं होने से सीमा चिन्ह कायम नहीं हो पाये है इसलिये प्रार्थीया अपनी भूमि में पत्थरगढी करवा कर स्थाई रूप से सीमाएँ कायम करवाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनू (राज.)

चाहती है। ताकि किसी भी पक्षकार खास कर हनुमान पुत्र बचन सिंह से भवि य में कोई विवाद उत्पन्न ना हो। इसलिये प्रार्थीया ने अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सावधि है।

5. यह कि प्रार्थीया की भूमि मौके पर खाली है जिस पर किसी प्रकार की फसलकास्त प्रार्थीया ने नहीं की है। जिससे वर्तमान में पत्थरगढ़ी करवाने में कोई कानूनी बाधा भी नहीं है।
 6. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम बुहाना में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान के सीमा अधिकार में है। इसलिये न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है।
 7. यह कि प्रार्थना पत्र 2 रूप्ये कोर्ट फीस पर पेश है।
 8. यह कि प्रार्थना पत्र नवीनतम रिकॉर्ड के साथ पेश किया गया है इसके पश्चात प्रार्थीया ने कोई रहन बेचान नहीं किया है शपथ पत्र प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।
- अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि-


- (क) कि ग्राम बुहाना स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 1193/2 रकबा 0.60 है0 खसरा नंबर 1193/1/1 रकबा 0.4834 है0 खसरा नंबर 1193/1/1 रकबा 0.0961 है0 खसरा नंबर 1192/1 रकबा 0.1334 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.31 है0 की पत्थरगढ़ी सीमाज्ञान दिनांक 08.06.2018 के अनुसार करवाई जाकर पत्थरगढ़ी करवाई जावे तथा स्थाई चिन्ह कायम किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। सभी अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल की गयी। अप्रार्थीगण की सम्यक् तामिल के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी की ओर से साक्ष्य में फर्द सीमाज्ञान दिनांक 08.06.2018, जमाबंदी सं0 2070-73 खाता सं0 1333, 1240 वाके ग्राम बुहाना पेश किए गए।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। आराजी मुतनाजा प्रार्थी की एकल खातेदारी भूमि है। जिसकी सुरक्षा, संरक्षा का प्रार्थी का अधिकार है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.06.2018 को तहसीलदार बुहाना के आदेश से पटवारी व गिरदावर हल्का से सीमाज्ञान करवाया गया था। जिसकी फर्द शामिल पत्रावली है। सीमाज्ञान के सम्यक् समाधान हेतु प्रार्थी अपनी खातेदारी का पुख्ता। सीमाज्ञान पर किसी तरह का सीमा का विवाद नहीं रहे, इसलिए न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।


 उदरगण्ड अधिकारी
 एवं पदेन न्यायाधीश कालक्टर
 बुहाना तहसील-बुधपुर (राज.)

-:: आदेश ::-

न्यायालय प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 1193/2 रकबा 0.60 है., खसरा नम्बर 1193/1/1 रकबा 0.4834 है., खसरा नम्बर 1193/1/2 रकबा 0.0961 है., खसरा नम्बर 1192/1 रकबा 0.1334 है0 का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 08.06.2021 के अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। सम्यक् समाधान उपरान्त प्रार्थी के खर्चे पर सीमाचिन्ह, पत्थरगढी कायम कराए जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना पालना कर रिपोर्ट पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 6/12/21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्रांकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुम्रार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनू (राज.)